न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद सं0 ..36../2018–19

श्री तुलसी यादव,
पिता– बनवारी यादव वो
साकिन– तिलैया बस्ती

30.05.2018 श्री तुलसी यादव, पिता– बनवारी यादव, साकिन– तिलैया बस्ती, वार्ड नं0– 03, पोस्ट आफिस– झुमरी तिलैया, थाना– तिलैया, जिला– कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनकी खतियानी भूमि, मौजा– तिलैया, सर्वे–खाता सं0– 704 के विभिन्न प्लॉट अन्तर्गत सम्मिलात रकबा– 2.73 ए0 भूमि उनके पिता– बनवारी यादव एवं चाचा जागो यादव, दोनों के पिता– बोधो यादव के नाम से चल रही जमाबंदी पंजी II क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण लगान रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा है।

श्री यादव के द्वारा लगान रसीद, शपथ–पत्र एवं खतियान की छायाप्रति संलग्न कर ऑनलाइन जमाबंदी कायम करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त आवेदन के आलोक में राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक से जांच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक ..06/..06/2018 को उपस्थापित करें।

30/05/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

06.06.2018 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक से विहित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। जांचोपरांत राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 के चालू पंजी II के पृष्ट सं0 35/IV पर खाता सं0– 704, रकबा– 2.65 ए0 भूमि श्री बनवारी यादव, श्री जागो यादव, पिता– बोधो यादव के नाम से दर्ज था। उक्त पंजी में पृष्ट सं0 35/IV क्षतिग्रस्त हो गया है। इसलिए जमाबंदी स्पष्ट पता नहीं होता है। **उक्त भूमि रैयती खाते की है।** अमीन द्वारा मापी के उपरांत जमाबंदी कायम करने की कार्रवाई की जा सकती है।"

मापी के उपरांत अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244, के खाता सं0– 704 से संबंधित खतियानी रैयत बनवारी यादव वो जागो यादव, पिता– बोधो यादव के वंशज (आवेदक), तुलसी यादव का उक्त खाता में वर्णित प्लॉटों का स्थल जाँच खतियान एवं नक्शे से मिलान करते हुए किया। जाँच के दौरान पाया कि निम्नांकित प्लॉट शांतिपूर्वक आवेदक वगैरह के दखल–कब्जे में है :–

मौजा का नाम	थाना	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट नं0	रकबा (ए0 में)
तिलैया	तिलैया	तिलैया	704	3957	0.90
				5219	0.11
				5215	0.12
				4997	0.11
				5731	0.21
				5660	0.02
				5666	0.05
				4624	0.05

Scanned with CamScanner

मौजा का नाम	थाना	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट नं0	रकबा (ए0 में)
तिलैया	तिलैया	तिलैया	704	4625	0.04
				4623	0.03
				4581	0.01
				4582	0.01
				4583	0.03
				4584	0.11
				4580	0..22
				1697	0.03
				1821	0.07
				1823	0.13
				कुल रकबा :–	2.25

अंचल अमीन के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है।

अंचल नाजीर के द्वारा आवेदक के आवेदन में संलग्न सरकारी लगान रसीद का नजारत में उपलब्ध रसीद भंडार पंजी से मिलान कर प्रतिवेदित किया गया है, ''लगान भंडार पंजी में रसीद सं0–024528 दिनांक 14.03.2015 दर्ज पाया।''

अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, ''हल्का कर्मचारी तथा अंचल अमीन के जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता कि उक्त भूमि रैयती खाते की है। निर्गत रसीद तथा जांच प्रतिवेदन के आधार पर जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की जाती है।''

आवेदक को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि से संबंधित मूल राजस्व कागजातों की मांग करें। साथ ही आम–इस्तहार निर्गत कर दावा/आपत्ति की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 18/06/2018 को उपस्थापित करें।

06/06/2018

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

18.06.2018 अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई दावा/आपत्ति दर्ज नहीं की गई।

Scanned with CamScanner

आवेदक, श्री तुलसी यादव, पिता– बनवारी यादव उपस्थित हैं। उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में खतियान की छायाप्रति, निर्गत सरकारी लगान रसीद सं0– 481220 वर्ष 1980–81 लगान रसीद सं0– 752498 वर्ष– 1992–93 प्रस्तुत किया गया। दावेदार के द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा का शपथ पत्र 1509 दिनांक 10.04.2018 दाखिल किया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है। पदाधिकारी अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त हैं।

अभिलेख दिनांक 16/08/2018 को उपस्थापित करें।

18/06/2018

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

16.08.2018

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक के द्वारा जांच के उपरांत विहित प्रपत्र में समर्पित जांच–प्रतिवेदन तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि; मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 के खाता नं0– 704 अन्तर्गत विभिन्न प्लॉट अन्तर्गत रकबा– 2.25 ए0 भूमि, रैयती खाते की भूमि है, जिसकी जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं0– 35/IV पर बनवारी यादव, जागो यादव, दोनों के पिता– बोधो यादव के नाम से चल रही थी। उक्त जमाबंदी पंजी II के पृष्ट सं0– 35/IV क्षतिग्रस्त हो चुका है।

वर्तमान अंचल निरीक्षक से स्पष्ट मंतव्य प्राप्त करें।

अभिलेख दिनांक 08/09/2018 को उपस्थापित करें।

16/08/2018

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

08.09.2018

अभिलेख उपस्थापित।

अंचल निरीक्षक से मंतव्य प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। उनके द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल अमीन के जांच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की गई है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों एवं राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक/अंचल नाजीर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ऑनलाइन पंजी II में मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 के खाता सं0– 704, उपर्युक्त प्लॉट अन्तर्गत रकबा– 2.25 ए0, माल– 3.90 रू0 की जमाबंदी बनवारी यादव एवं जागो यादव, दोनों के पिता– स्व0 बोधो यादव, साकिन– तिलैया बस्ती, जिला– कोडरमा के नाम से करने का आदेश निर्गत किया जाता है।

अभिलेख में कार्रवाई बंद की जाती है।

08/09/2018

लेखापित एवं संशोधित

08/09/2018

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

Scanned with CamScanner